संख्याः 979 /छिहत्तर-1-2020-25सम /2019

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक/अधिशासी निदेशक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 26 मई, 2020

विषयः भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2189/ डब्लू-314(जे0जे0एम0)/2020 दिनांक 12 मार्च, 2020 तथा पत्र संख्या-2189/ डब्लू-314(जे0जे0एम0)/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जल जीवन मिशन को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण बस्तियों में पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से समयबद्ध रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में, सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत बिन्दुओं को समाहित करते हुए 'जल जीवन मिशन' के विषय में भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को अंगीकृत किया जाय :-

(1) जल जीवन मिशन की दिशा-निर्देशिका के अनुसार ग्राम पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी (इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी) के रूप में गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0)/ विलेज आर्गेनाइजेशन (वी0ओ0)/ स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) / कम्यूनिटी बेस आर्गनाइजेशन (सी0बी0ओ0) / ट्रस्ट/फाउन्डेशन इत्यादि आबद्ध किया जायेगा। इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी के इम्पैनलमेन्ट किये जाने की कार्यवाही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा की जायेगी। उक्त इम्पैनल संस्थाओं से इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) के कार्यो के साथ-साथ बिहेवियर चेन्ज कम्यूनिकेशन (बी0सी0सी0) एवं इन्फारमेशन, एज्यूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (आई0ई0सी0) कार्यो का संचालन कराया जायेगा।

(2) बेस-लाइन सर्वे एवं ग्राम कार्ययोजना (विलेज एक्शन प्लान) तैयार कराये जाने के उपरान्त ग्राम कार्ययोजना संकलित करते हुए जनपद स्तर पर जनपद कार्ययोजना (डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान) तैयार किया जायेगा एवं तदोपरान्त राज्य कार्य योजना (स्टेट एक्शन प्लान) तैयार करायी जायेगी। जनपदों की ऐसी परियोजनाओं पर धनराशि का व्यय किया जाएगा, जिनकी ग्राम कार्ययोजना (विलेज एक्शन प्लान) ग्राम सभा से अनुमोदित हो।

(3) योजनाओं के निर्माण हेतु जनपदवार कार्यदायी फर्मो के इम्पैनलमेन्ट की कार्यवाही राज्य स्तर पर की जायेगी। पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा मदों/ घटकों के लिए संविदा में दर निश्चित करने और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन (ई.पी.सी.) विधि पर कार्य कराने के लिए ई-निविदा के माध्यम से एकाधिक एजेन्सियों को

सूचीबद्ध किया जायेगा। एकल ग्राम योजनाओं के निर्माण हेतु उक्त सूचीबद्ध एजेन्सियों निर्धारित दर पर कार्य कराये जाने का निर्णय जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा लिया जायेगा। बहुल ग्राम योजनाओं के निर्माण हेतु उक्त सूचीबद्ध एजेन्सियों से निविदा आमंत्रित करते हुए चयनित एजेन्सी से योजनाओं का निर्माण कराया जायेगा।

(4) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेंसी का इम्पैनलमेन्ट किया जाय।

(5) 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत जापानी इन्सेफलाइटिस/एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम (जे0ई0/ए0ई0एस0) से प्रभावित तथा गुणता प्रभावित क्षेत्रों विशेषतः आर्सेनिक / फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वतंत्र एजेन्सी से प्राथमिकता पर तैयार कराई जाए। जापानी इन्सेफलाइटिस /एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम तथा गुणता प्रभावित क्षेत्रों एवं गंगा के किनारे के समस्त जनपदों में प्राथमिकता पर कार्यवाही करायी जाय।

(6) आर्सेनिक फ्लोराइड एवं अन्य गुणता प्रभावित क्षेत्रों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत आर्सेनिक फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक रिमूवल यूनिट एवं फ्लोराइड रिमूवल यूनिट लगाये जाने की कार्यवाही भी प्राथमिकता पर की जाय।

(7) वर्तमान में पूर्व से निर्मित एवं निर्माणाधीन विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं में गाइड लाइन के अनुसार रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही प्राथमिकता पर करायी जाय।

3- वर्तमान में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 'विन्ध्य/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना' संचालित है। 'विन्ध्य/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना' में पूर्व में ही यह निर्णीत है कि दस वर्ष तक परियोजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य सम्बन्धित फर्मो द्वारा किया जायेगा। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इन परियोजनाओं को भी 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत आच्छादित करते हुए अग्रिम क्रियान्वयन की कार्यवाही की जाय।

4- यह भी निर्णय लिया गया है कि 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत एकल ग्राम एवं बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य दस वर्ष तक सम्बन्धित कार्यदायी फर्मो से कराया जाय।

5- 'जल जीवन मिशन' के क्रियान्वयन हेतु इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) को इम्पैनलमेन्ट किये जाने, निर्माण कार्यो के सम्पादन के लिए विभिन्न फर्मो/ कान्ट्रेक्टर को इम्पैनलमेन्ट किये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सियों के इम्पैनलमेन्ट हेतु उपलब्ध करायी गई तीन आर0एफ0पी0 पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

6- अतः इस संबंध में उक्त अनुमोदित तीनों आर0एफ0पी0 संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सन्दर्भित प्रकरण में उपरोक्त लिये गये निर्णय के क्रम में अपेक्षित कार्यवाही समयबद्ध रूप से शीर्ष प्राथमिकता पर कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

D:\2020\cabinet 2020\JJM Cabinet\Jjm first cabinet\GO-ISA,TPI, Contractors, RFP.docx

संख्याः 979 (1)/छिहत्तर-1-2020-25सम/2019, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(7) विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/3/10/2020 - सी0एक्स0 (1) दिनांक 22 मई, 2020 के क्रम में।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

D:\2020\cabinet 2020\UJM Cabinet\Ujjm first cabinet\GD-ISA,TPL Contractors, RTP.docx